ए.

देवराजन रमन बनाम.

बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (2020 की सिविल अपील संख्या 3160) 05 जनवरी, 2022

बी.

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-समाधान पेशेवर (आर. पी.) द्वारा की गई लागत और व्यय-प्रत्यर्थी के एक ईमेल के अनुसरण में, अपीलार्थी ने अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी बोली प्रस्तुत की-कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) एन. सी. एल. टी. के आदेश द्वारा शुरू की गई थी और अपीलार्थी को अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया था-एन. सी. एल. टी. के आदेश को अपील में अलग रखा गया था और अपीलार्थी द्वारा खर्च किए गए सी. आई. आर. पी. के शुल्क और लागत को निर्धारित करने के लिए कार्यवाही वापस भेज दी गई थी-अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को पत्र संबोधित किया जिसमें शुल्क और लागत के रूप में देय राशि दिखाई गई थी-कुल राशि आई. डी. 1 रुपये थी-- रु. 5,66,667-प्रत्यर्थी द्वारा शेष राशि रुपये 9,08,993 छोड़ कर प्रतिपूर्ति की गई-प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि सत्यापन पर, लागत और शुल्क तकनीकी और वित्तीय बोली दोनों के अनुरूप पाए गए, जिसके आधार पर असाइनमेंट दिया गया था-अपीलार्थी ने शेष लागत और शुल्क जारी करने के लिए NCLT के समक्ष आवेदन दायर किया-NCLT ने प्रत्यर्थी को खर्च किए गए खर्च और RP के शुल्क के लिए 5,00,000 के साथ-साथ जीएसटी की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया-अपीलार्थी द्वारा NCLT-NCLAT द्वारा लागत और शुल्क में कमी को चुनौती देने के लिए अपील दायर की गई थी, जिसने अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि शुल्क के रूप में रु.अपीलार्थी के पत्र पर प्रत्यर्थी के उत्तर और एन. सी. एल. टी. द्वारा अपीलार्थी द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार के अभाव पर विचार करते हुए-न तो दावे के आधार पर और न ही इसकी तर्कसंगतता पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया था-अपीलीय प्राधिकरण ए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

975

एक तदर्थ तरीके से आगे बढ़ाया गया-दोनों आदेश अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में त्याग से ग्रस्त हैं-रिमांड का आदेश-एन. सी. एल. ए. टी. और एन. सी. एल. टी. के आदेश और निर्णय को दरकिनार कर दिया गया-मामले को नए सिरे से तय करने के लिए एन. सी. एल. टी.-भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016-विनियमन 34।

बी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** वर्तमान मामले में, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा सी. आई. आर. पी. शुरू करने के एन. सी. एल. टी. के आदेश को दरकिनार करने के बाद, दिवाला समाधान लागत निर्धारित करने के लिए कार्यवाही वापस कर दी गई थी।यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी ने आवेदन दाखिल करने से पहले **13** दिसंबर **2019** को प्रत्यर्थी को एक पत्र लिखा था, जिस पर प्रत्यर्थी ने **24** जनवरी **2020** को यह कहते हुए जवाब दिया कि, सत्यापन पर, लागत और शुल्क तकनीकी और वित्तीय बोली दोनों के अनुरूप पाए गए, जिसके आधार पर असाइनमेंट दिया गया था।एन. सी. एल. टी. के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन में, अपीलार्थी ने लागत का एक विवरण संलग्न किया, वह राशि जो अनुलग्नक 'डी' में बकाया राशि के साथ प्रतिपूर्ति की गई थी।हालाँकि, एन. सी. एल. टी. के आदेश से पता चलता है कि अपीलार्थी की किसी भी प्रस्तुति पर विचार नहीं किया गया है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने केवल प्रत्यर्थी को किए गए खर्चों और आर. पी. के शुल्क के लिए रुपये **5,00,000** प्लस जी. एस. टी. की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा न तो दावे के आधार और न ही इसकी तर्कसंगतता पर विचार किया गया है।अपीलीय प्राधिकरण ने केवल इस आधार पर एक तदर्थ तरीके से कार्रवाई की है कि खर्चों के अलावा शुल्क के रूप में रुपये की राशि उचित प्रतीत होती है। दोनों आदेश अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में त्याग से पीड़ित हैं।एन. सी. एल. टी. या अपीलीय प्राधिकरण के आदेश में किसी भी कारण के अभाव में, इस न्यायालय के लिए यह अनुमान लगाना असंभव है कि किस आधार पर खर्च के साथ **5,00,000** की राशि का भुगतान उचित पाया गया है।नतीजतन, रिमांड का आदेश आवश्यक हो जाता है।**[**पैरा **16] [982-**सी**-**जी**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

आलोक कौशिक बनाम भुवनेश्वरी रामनाथन **(2021) 5**

एस**.** सी**.** सी**. 787-**संदर्भित।

एच.

977

देवराजन रमन बनाम बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड ए

ए.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2020 की सिविल अपील संख्या 3160।

2020 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 646 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 30.07.2020 के निर्णय और आदेश से।

बी.

सुश्री अंजलि शर्मा, सुश्री शगुन मट्टा, दीपक बष्टा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

वादलामनी शेषगिरी, श्रेयस शंकर जोशी, श्रीमती बेला माहेश्वरी, प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** जे**.**

1. यह अपील 2020 की कंपनी अपील (एटी) दिवाला संख्या 646 में 30 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण 1 के एक फैसले से उत्पन्न होती है।

डी.

2. विवादग्रस्त मुद्दा समाधान पेशेवर 3 द्वारा की गई लागतों और खर्चों के भुगतान से संबंधित है।पूनम ड्रम्स एंड कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट देनदार) के वित्तीय लेनदार प्रत्यर्थी के 4 फरवरी 2019 के एक ईमेल के अनुसार, अपीलार्थी ने अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्ति के लिए 5 फरवरी 2019 को अपनी तकनीकी और वित्तीय बोली प्रस्तुत

की।8 मार्च 2019 को, प्रत्यर्थी ने कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 4 की धारा 7 के तहत एक याचिका दायर की।20 सितंबर 2019 को, निगमित ऋणदाता को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण 5 द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया में भर्ती किया गया था और अपीलार्थी को अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया था।अपीलार्थी की नियुक्ति का आदेश एन. सी. एल. टी. के आदेश के संचालन निर्देश VI में परिलक्षित होता है, जो इस प्रकार हैः

ई.

एफ.

“VI. कि यह पीठ इस समय एक पंजीकृत दिवाला समाधान पेशेवर श्री देवराजन रमन को नियुक्त करती है

जी.

1 “एनसीएलएटी या अपीलीय प्राधिकरण "

2 श्री देवराजन रमन, रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल पूनम ड्रम्स एंड कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड

3 “आरपी "

4 “आईबीसी "

5 “एन. सी. एल. टी. या न्यायनिर्णायक प्राधिकरण "

एच.

आई एंड बी कोड के तहत उल्लिखित कार्यों को करने के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में पंजीकरण संख्या [आई. बी. बी. आई./आई. पी. ए.-02/आई. पी.-00323/2017-संख्या 18/10928] होना।आई. आर. पी./आर. पी. को देय शुल्क इस संबंध में जारी आई. बी. बी. आई. विनियमों/परिपत्रों/निर्देशों का पालन करेगा।”

बी.

3. 19 दिसंबर 2019 को, एन. सी. एल. टी. के आदेश को कॉर्पोरेट देनदार के निदेशकों के कहने पर एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अपील 6 में रद्द कर दिया गया था।अपीलीय प्राधिकरण के आदेश से, अपीलीय द्वारा व्ययित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया 7 के शुल्क और

लागत पर निर्णय लेने के लिए कार्यवाही एन. सी. एल. टी. को प्रेषित की गई थी, जिसे वित्तीय लेनदार के रूप में प्रत्यर्थी द्वारा वहन किया जाना था।

सी.

4. 30 दिसंबर 2019 को, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को एक पत्र संबोधित किया जिसमें शुल्क और लागत के रूप में देय राशि को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न किया गया था।यह राशि 19 दिसंबर 2019 तक 14,75,660 की राशि में निर्धारित की गई थी।अपीलार्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी द्वारा बकाया राशि 5,66,667 की प्रतिपूर्ति की गई थी, जो कि 9,08,993 की राशि थी।

डी.

5. अपीलार्थी ने शेष शुल्क और लागत जारी करने के लिए 17 जनवरी 2020 को एक आवेदन में एन. सी. एल. टी. का रुख किया।जिस प्रमुख राहत का दावा किया गया था, वह निम्नलिखित शब्दों में थीः

ई.

“1. भारतीय प्रत्यर्थी बैंक को अनुबंध डी में दिए गए विवरण के अनुसार आवेदक समाधान पेशेवर के शुल्क सहित सी. आई. आर. पी. लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।

6. 24 जनवरी 2020 को, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के 30 दिसंबर 2019 के पत्र का जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि उसने अपीलार्थी द्वारा बताए गए शुल्क और लागतों के विवरण को सत्यापित किया था और उन्हें उस तकनीकी और वित्तीय बोली के अनुरूप पाया था जिसके आधार पर उसे असाइनमेंट दिया गया था, साथ ही साथ ऋणदाताओं की समिति 8 के अनुमोदन के साथ।प्रत्यर्थी ने कहा कि वह एनसीएलटी के आदेश की प्राप्ति पर अपीलार्थी को भुगतान जारी करेगा। 7 फरवरी 2020 के अपने आदेश द्वारा, एन. सी. एल. टी. ने निम्नलिखित शर्तों में आवेदन का निपटारा कियाः

एफ.

जी.

6 कंपनी अपील (ए. टी.) 2019 की दिवाला संख्या 1092 7 "सी. आई. आर. पी".

8 “सीओसी "

एच.

“एम. ए. 223/2020 रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा अपनी फीस के लिए दाखिल किया जाता है।दोनों पक्षों को सुनने पर, प्रत्यर्थी बैंक को आर. पी. द्वारा किए गए सभी खर्चों और आर. पी. के शुल्क के लिए रु. 5,00,000/- प्लस जी. एस. टी. का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

तदनुसार, एम. ए. 223/2020 की अनुमति है और इसका निपटान किया जाता है।”

बी.

7. अपीलार्थी ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील दायर की। अपील के आधारों में, चुनौती का प्रासंगिक आधार नीचे दिया गया है:“(vi) कि अपीलार्थी द्वारा दायर उपर्युक्त आवेदन को 7 फरवरी, 2020 को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, मुंबई पीठ द्वारा लिया गया और सुना गया।यद्यपि उक्त तिथि पर अपीलार्थी ने माननीय पीठ को समझाया कि वित्तीय लेनदार ने अपने द्वारा उद्धृत शुल्क को विधिवत स्वीकार कर लिया है, और प्रत्यर्थी वित्तीय लेनदार की ओर से c.i.r.p के भुगतान के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी. अपीलार्थी द्वारा खर्च की गई लागत, जिसमें उसका शुल्क भी शामिल है, माननीय मुंबई पीठ ने अपीलार्थी द्वारा उद्धृत c.i.r.p लागत और शुल्क को कम करने का विवादित आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े, इसके लिए कोई कारण बताए बिना, या यहां तक कि उक्त संबंध में अपीलार्थी की दलीलों को भी ध्यान में रखे बिना।वास्तव में, प्रत्यर्थी बैंक ने 7 फरवरी, 2020 को सुनवाई के दौरान पुष्टि की कि वह उक्त राशि का भुगतान करने के लिए सहमत था।हालाँकि, इसे भी नजरअंदाज कर दिया गया था, और वास्तव में, क्रम में भी ध्यान नहीं दिया गया था।अपीलार्थी और प्रत्यर्थी वित्तीय लेनदार के बीच बैठक के कार्यवृत्त और अपीलार्थी को भुगतान किए जाने वाले शुल्क के बारे में उनकी सहमति का प्रमाण देने वाले अन्य दस्तावेजों की प्रतियां इसके साथ संलग्न की गई हैं और अनुलग्नक-सी (सामूहिक रूप से) के रूप में चिह्नित की गई हैं।अनुलग्नक डी के रूप में संलग्न एक विवरण है जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा विवादित आदेश के पारित होने के बाद अपीलार्थी को भुगतान की गई राशि को दिखाया गया है, जो रु। 7, 09, 154/-।रु. की राशि। 1,99,839-इसलिए अभी भी भुगतान किया जाना बाकी है, और यह उक्त कथन में भी परिलक्षित होता है।”

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

8. एन. सी. एल. ए. टी. ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि:(i) अपीलार्थी ने आर. पी. के रूप में लगभग तीन महीने तक काम किया था; (ii) खर्चों की पूरी अनुमति दी गई थी और

पूरी अवधि के लिए आर. पी. के शुल्क के रूप में दी गई रुपये 5,00,000 और जी. एस. टी. की समेकित राशि अनुचित नहीं थी; और

एच.

(iii) शुल्क का निर्धारण सी. ओ. सी. के व्यावसायिक विवेक के आधार पर एक व्यावसायिक निर्णय नहीं है।

9 अपीलार्थी की ओर से पेश अधिवक्ता सुश्री अंजलि शर्मा ने एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश को मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी:(i) अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शुल्क और व्यय का विवरण तकनीकी और वित्तीय बोली के संदर्भ में था;

बी.

((ii) अपीलार्थी के 30 दिसंबर 2019 के पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 10 दिसंबर 2019 को हुई चौथी सी. ओ. सी. बैठक में 30 नवंबर 2019 तक के सभी खर्चों की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद कोई बैठक नहीं हुई।

सी.

(iii) वास्तव में, प्रत्यर्थी ने 24 जनवरी 2020 के अपने पत्र द्वारा, सत्यापन पर पाया कि दावा किए गए शुल्क और खर्च स्वीकार्य थे;

(iv) एन. सी. एल. टी. ने तथ्यात्मक स्थिति की जांच या सत्यापन नहीं किया और केवल रुपये 5,00,000 का एक तदर्थ आंकड़ा दिया, जबकि एन. सी. एल. ए. टी. ने इस आधार पर एक समान त्रुटि की है कि रुपये 5,00,000 की राशि उचित पाई गई; और

डी.

(v) अपीलार्थी ने तीन महीने के लिए आई. आर. पी. के रूप में काम किया जो प्रक्रिया को पूरा करने के लिए परिकल्पित एक सौ अस्सी दिनों की अवधि का आधा है।

ई.

10. इस पृष्ठभूमि में, अधिवक्ता ने कहा कि निर्णय के संदर्भ में

आलोक कौशिक बनाम भुवनेश्वरी रामनाथन **9** में इस न्यायालय का

आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र होगा। वर्तमान मामले में, अधिकार क्षेत्र का अनुचित तरीके से इस अर्थ में प्रयोग किया गया है कि दावे के आधार और वित्तीय लेनदार द्वारा स्वीकार किए गए आंकड़ों पर कोई विचार नहीं किया गया है।

एफ.

11. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से पेश अधिवक्ता श्री वडलामणि शेषगिरी ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने 19 दिसंबर 2019 के एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश को स्वीकार कर लिया, जिसमें आर. पी. को देय लागत और शुल्क निर्धारित करने के लिए एन. सी. एल. टी. को कार्यवाही वापस भेज दी गई थी। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया कि आर. पी. को जो भुगतान किया गया है वह तीन महीने की अवधि में किए गए काम के अनुरूप है।

जी.

एच.

9 (2021) 5 एससीसी 787 ए

12. उपरोक्त प्रस्तुतियों का जवाब देते हुए, अपीलार्थी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि अपीलार्थी ने लागत और शुल्क के निर्धारण के लिए एन. सी. एल. टी. को कार्यवाही वापस भेजने के एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश को चुनौती नहीं दी क्योंकि अपीलार्थी के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं था।इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी की वास्तविक शिकायत यह है कि जब अपीलार्थी ने अपनी बोली प्रस्तुत की थी या 12 जून 2018 के भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के परिपत्र के संदर्भ में दावे का मूल्यांकन या विश्लेषण नहीं किया गया है। 13.शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आलोक कौशिक (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले में एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर विचार किया गया था।उस मामले में, एन. सी. एल. टी. ने माना कि एक बार सी. आई. आर. पी. को अलग कर दिए जाने के बाद, इसे कार्यात्मक आधिकारिक बना दिया गया था।न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश को अपील में बरकरार रखा गया था।उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने सुसंगत विनियमों के प्रावधानों को स्वीकार करने के बाद निम्नलिखित टिप्पणी कीः

बी.

सी.

“19. यद्यपि सी. आई. आर. पी. को बाद में अलग कर दिया गया था, लेकिन अपीलार्थी का पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में दावा उस अवधि से संबंधित था जब वह सी. आई. आर. पी. की एक घटना के रूप में नियुक्त एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा था। एन. सी. एल. टी. को आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में उचित ठहराया जाता और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, हम तदनुसार आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि वर्तमान मामले जैसी स्थिति में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत उस राशि का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त अधिकार है जो एक विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ता को सी. आई. आर. पी. लागत के एक आंतरिक हिस्से के रूप में देय है।आई. आर. पी. विनियमों का विनियम 34 आर. पी. द्वारा नियुक्त अन्य पेशेवरों के शुल्क को शामिल करने के लिए "दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत" को परिभाषित करता है। क्या दावा किए जाने के अनुसार कोई कार्य किया गया है और यदि ऐसा है, तो मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति कुछ ऐसी है जिसे इस न्यायालय को हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह विशुद्ध रूप से एक तथ्यात्मक मामला है जिसका मूल्यांकन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किया जाना है।

डी.

ई.

एफ.

14. भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 34 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

जी.

“34. समाधान पेशेवर लागत।—समिति समाधान पेशेवर पर या उसके द्वारा किए जाने वाले खर्चों को तय करेगी और खर्चों में दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत शामिल होगी।

एच.

स्पष्टीकरण।—इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, "खर्चों" में समाधान पेशेवर को भुगतान किया जाने वाला शुल्क, दिवालिया पेशेवर इकाई को भुगतान किया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो, और पेशेवरों को भुगतान किया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो, और समाधान

पेशेवर द्वारा किए जाने वाले अन्य खर्च शामिल हैं।”15. भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने 12 जून 2018 को एक परिपत्र जारी किया है।परिपत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, दिवाला पेशेवर से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि सी. आई. आर. पी. के दौरान उसे देय शुल्क उचित हो और जहां भी अनुमोदन की आवश्यकता हो, शुल्क या अन्य खर्चों के लिए सी. ओ. सी. की मंजूरी प्राप्त की जाए।

बी.

16. वर्तमान मामले में, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा सी. आई. आर. पी. शुरू करने के एन. सी. एल. टी. के आदेश को दरकिनार करने के बाद, दिवाला समाधान लागत निर्धारित करने के लिए कार्यवाही वापस कर दी गई थी।यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी ने आवेदन दाखिल करने से पहले 13 दिसंबर 2019 को प्रत्यर्थी को एक पत्र लिखा था, जिस पर प्रत्यर्थी ने 24 जनवरी 2020 को यह कहते हुए जवाब दिया कि, सत्यापन पर, लागत और शुल्क तकनीकी और वित्तीय बोली दोनों के अनुरूप पाए गए, जिसके आधार पर असाइनमेंट दिया गया था।एन. सी. एल. टी. के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन में, अपीलार्थी ने लागत का एक विवरण संलग्न किया, वह राशि जो अनुलग्नक 'डी' में बकाया राशि के साथ प्रतिपूर्ति की गई थी।हालाँकि, एन. सी. एल. टी. के आदेश से पता चलता है कि अपीलार्थी की किसी भी प्रस्तुति पर विचार नहीं किया गया है।न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने केवल प्रत्यर्थी को किए गए खर्चों और आर. पी. के शुल्क के लिए रुपये 5,00,000 प्लस जी. एस. टी. की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा न तो दावे के आधार और न ही इसकी तर्कसंगतता पर विचार किया गया है।अपीलीय प्राधिकरण ने केवल इस आधार पर एक तदर्थ तरीके से कार्रवाई की है कि खर्चों के अलावा शुल्क के रूप में रुपये की राशि उचित प्रतीत होती है।दोनों आदेश अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में त्याग से पीड़ित हैं।एन. सी. एल. टी. या अपीलीय प्राधिकरण के आदेश में किसी भी कारण के अभाव में, न्यायालय के लिए यह निष्कर्ष निकालना असंभव है कि किस आधार पर खर्चों के साथ 5,00,000 की राशि का भुगतान उचित पाया गया है।नतीजतन, रिमांड का आदेश आवश्यक हो जाता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

17. हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और 30 जुलाई 2020 के एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर देते हैं।इसी तरह, 7 फरवरी 2020 के एन. सी. एल. टी. के आदेश को रद्द कर दिया गया है।सीपी (आईबी) 970/एमबी/2019 में

एमए नंबर 223/2020 को निर्णय ए के लिए एनसीएलटी की फाइल में बहाल कर दिया गया है।

एच.

983

देवराजन रमन बनाम बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

नए सिरे से।एन. सी. एल. टी. से रिमांड पर, एम. ए. के निपटान में तेजी लाने और अपने रिकॉर्ड पर इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने का अनुरोध किया जाता है।18. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

19. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

बी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.